न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 301/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/496

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तुलछाराम पुत्र बुदराराम जाति चौधरी निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.भूराराम पुत्र बुदराराम जाति चौधरी निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28/07/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 214 रकबा 57.01 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 के दादा बीराराम के नाम दर्ज थी,जिन्होने सहमति बंटवाड़ा मे प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 को दिए जाने पर विवादित आराजी के खसरा संख्या 850/214 रकबा 28.10 बीघा भूमि प्रार्थी व खसरा संख्या 849/214 रकबा 28.11 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज हुए। पक्षकारान का मौके पर माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन तत्समय लटढा नक्शा मे तरमीम नही की गई थी,अभी आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौरान मौका कब्जा काश्त के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थी के रहवासी मकान इत्यादि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आ रहे है। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद का कारण बना है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 850/214 व 849/214 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गए। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश नही कर मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो पत्रावली के संलग्न है। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित रहे।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 214 रकबा 57.01 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 के दादा बीराराम के नाम दर्ज थी,जिन्होने सहमति बंटवाड़ा मे प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 को दिए जाने पर विवादित आराजी के खसरा संख्या 850/214 रकबा 28.10 बीघा भूमि प्रार्थी व खसरा संख्या 849/214 रकबा 28.11 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज हुए। पक्षकारान का मौके पर माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन तत्समय लटढा नक्शा मे तरमीम नही की गई थी,अभी आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौरान मौका कब्जा काश्त के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई,जिसके कारण प्रार्थी के रहवासी मकान इत्यादि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आ रहे है। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद का कारण बना है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो मौका स्थिति अनुरूप तरमीम किए जाने की अनुशंषा की गई है। अतं मे निवेदन किया कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 850/214 व 849/214 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि मूल खसरा संख्या 214 रकबा 57.01 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 के दादा बीरीया वल्द उम्मेदा की खातेदारी मे अवस्थित थी। बीरीया वल्द उम्मेदा द्वारा जरिए पंजीबद्व एग्रीमेण्ट भूमि बंटवाड़ा पोतो–तुलछाराम पुत्र बुदराराम रकबा 28.10 बीघा व भूराराम पुत्र बुदराराम रकबा 28.11 बीघा को दी गई,जो तदनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद हुए। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 849/214 का प्रार्थी व खसरा संख्या 850/214 का विप्रार्थी संख्या 01 खातेदार है। विवादित आराजी की विदयमान तरमीम नक्शा व मौका रिपोर्ट मे दर्शित नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही हो रखी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम बंटवाड़ा नक्शा से विपरीत की गई है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। विप्रार्थी संख्या 01 बावजूद रजिस्ट्री नोटिस तामीली के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने मे विप्रार्थी की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती,तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नही किया। मौका रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा विवादित आराजी का मौका मुआयना नही कर अपने अधीनस्थ स्टॉफ हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तैयार करवाए गए है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि विवादित आराजी का भूमिधारक स्वंय मौका मुआयना करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे जांच कर विवादित आराजी की नए सिरे से तरमीम कर। ऐसी सूरत मे प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 850/214 व 849/214 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का आप स्वंय मौका मुआयना करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौका कब्जा काश्त स्थिति अनुरूप नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश नियमानुसार पारित करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.)

28/07/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/07/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/07/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा